IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 27, Issue 1, Series 1 (January. 2022) 77-81
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

भारतीय महिलाओं के आर्थिक–सामाजिक विकास की ओर बढ़ते कदम

डॉ० नेत्रपाल सिंह

डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशियोलॉजी

मान्यवर कांशीराम गोवेर्मेंट डिग्री कॉलेज, गभाना (अलीगढ़)

प्रस्तावना

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता ।।

प्राचीन काल से समाज का आधार नारी रही है। विभिन्न समय–काल में नारी ने वैदिक रचनाओं के निर्माण से लेकर आज के वैज्ञानिक अनुसंधान तक अनेकों कार्य कर राष्ट्र निर्माण में अपना अतुल्य योगदान दिया है। महिलाएं भारत की पुरातन सभ्यता की आधारभूत संरचना की केन्द्र बिन्दु रही हैं। समाज के किसी प्रकार के बदलाव में प्रथम पक्ष नारी ही रही है। वैदिक युग को सभ्यता एवं संस्कृति की दृष्टि से महिलाओं की उन्नति का युग कहा गया। इस युग में महिलाओं की प्रतिभा, तपस्या एवं विद्विता विकसित थी। महिलाओं की स्थिति, आत्मविश्वास, षिक्षा, ज्ञान तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी पुरूषो के समान थी। यज्ञो तथा धार्मिक अनुष्ठानो में महिलाएं स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेती थी मैत्रेयी, गार्गी और अनुसूया, अपाला, घोषा एवं लोपा मुद्रा आदि नामक विदुषी महिलाएं षास्त्रार्थ में पारंगत थी।

संकेत ष्षब्दः प्रतिबन्ध, अतुलनीय, सषकितकरण,

उत्तरवैदिक काल में महिलाओं की शक्ति प्रतिभा व स्वतंत्रता के विकास पर प्रतिबंध लगने लगा। शनैः शनैः बालविवाह का निर्देष दिया गया जिसके कारण महिलाओं की षिक्षा में कमी तथा बहुपत्नि विवाह प्रचलन में आ गया और स्मृति काल में यदि महिलाओं की स्थिति को देखा जाये तो इस काल में महिलाओं की स्थिति और दयनीय हो गयी थी। मध्य काल में मुगल साम्राज्य होने से महिलाओं की दषा और भी दयनीय हो गयी थी क्योंकि इस काल में पर्दा प्रथा एवं बालविवाह जैसी कुरीतियां व्याप्त हो गयी। फिर भी इस काल में महिलाओं ने तत्कालीन समाज को अपना योगदान दिया जैसे– रजिया सुल्ताना, चाँदबीबी, दुर्गावती एवं मीरा आदि।

ब्रिटिष षासन की अवधि में भारतीय समाज की आर्थिक एवं सामाजिक संरचनाओं मे अनेकों परिवर्तनो के कारण महिलाओं के जीवन में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अनेक सुधार हुए जैसे– महिला षिक्षा का विकास, सती प्रथा पर प्रतिबन्ध, बालविवाह पर रोक, पर्दा प्रथा की समाप्ति आदि। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पष्चात महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को पुरूषों के समान मताधिकार प्राप्त हुए। 1955 के हिन्दू विवाह कानून के द्वारा बहुपत्नि विवाह को गैरकानूनी घोषित किया गया साथ ही महिलाओं की राजनैतिक क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ी। 1951 में खान अधिनियम, 1958 में फैक्ट्री अधिनियम द्वारा महिलाओं के कार्य के घण्टे निष्चित कर दिये गये। इन कानूनो के परिणामस्वरूप महिलाओं की आर्थिक दषा में सुधार हुआ। 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी के प्रारम्भ में महिलाओं के प्रति पुरूष वर्ग की मानसिकता में परिवर्तन हुआ। जिसके परिणामस्वरूप महिलाएं अनेकों क्षेत्रों में कार्यषील होने के कारण आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित तथा आत्मविश्वासी हो गयी है तथा विभिन्न क्षेत्रों में अपना अतुलनीय योगदान देने लगी। ई0 के0 जानकी अमल, असीमा चक्रवर्ती, अर्चना शर्मा, इंदिरा नाथ, कस्तूरी दत्ता, आषा कोल्टे आदि भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने सराहनीय कार्य किये। राजनीति के क्षेत्रों में महिलाओं ने नए कीर्तिमान स्थापित किए है। स्वतन्त्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी, राष्ट्रपति के रुप में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, लोकसभा स्पीकर के रूप में मीरा कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी, मुख्यमंत्री के रूप में मायावती, वसुंधराराजे, सुषमा स्वराज, जयललिता, ममता बनर्जी, पीला दीक्षित आदि महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में अपनी भागीदारी दे चुकी या दे रही है। सामाजिक क्षेत्र में भी मेघा पाटकर, श्रीमती किरण मजुमदार, इला भट्ट, सुधामूर्ति, आदि महिलाएं ख्यातिलब्ध है। खेल जगत में पी0टी0 उषा, अंजू बेबी जार्ज, सुनीता जैन, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पी0वी0 सिंधु व अंजु चोपड़ा आदि ने नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। आई0पी0एस0 किरण बेदी, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आदि ने उच्च षिक्षा प्राप्त करके विविध क्षेत्रों में अपनी कौषलता का परिचय दिया हैं। बहुत कम विज्ञापन ऐसे होगें जिसमें महिलाओं की भागीदारी न हों। भारत में वर्ष 1974 को "महिला वर्ष" तथा 1975–1985 के दषक को "महिला दषक" के रूप में मनाया गया। वस्तुत: 21वीं सदी को "महिला सदी" घोषित किया गया हैं तथा वर्ष 2001 को "महिला सषक्तिकरण" के रूप में मनाया गया है। महिला सषक्तिकरण के माध्यम क्षमताओं और कौषलता का विकास करके महिलाओं को अधिक सषक्त बनाने का प्रयास किये गये हैं।

भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति–

स्वतंत्रता के बाद भारत में लैंगिक स्थिति बहुत ही निम्न है। वर्ष 2011 की जनगंणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ हो गयी हैं, जिसमे 58.64 करोड़ महिलाएं हैं। इस प्रकार से महिलाओं को स्वावलम्बी बनाये बिना सषक्त भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसमें कोई संदेह नहीं की सदियों से चली आ रही व्यवस्था के द्वारा कामकाजी महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है।

वर्ष 1951 में 1000 पुरूषो पर 946 महिलाएं थी जो घटकर 2011 की जनगणना के अनुसार 940 हो गयी। 0–6 आयु वर्ग के बीच लिंगानुपात और भी चिंताजनक है। इस वर्ग में प्रति 1000 पुरूषों 918 महिलाएं है जिसे भविष्य की स्थिति के रूप में देखा जा सकता है। परन्तु पिछले दो दषकों से लिंगानुपात में सुधार देखने को मिला है।

तालिका–1
भारत में लिंगानुपात

वर्ष	लिंगानुपात
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933
2011	940

स्रोत–जनगणना रिर्पोट 2011

आज जब सुनियोजित आर्थिक विकास में समस्त सामाजिक गतिविधियों को प्राथमिकता दी जा रही हैं, तब षिक्षा को आर्थिक विकास के अनुरूप ढालना समय की मांग हैं। एक प्रकार से षिक्षा प्रणाली न केवल अर्थव्यवस्था तथा समाज के द्वारा अभीष्ट कुषल व प्रषिक्षित व्यक्तियों का निर्माण करती हैं, बल्कि आधुनिक दृष्टिकोण और तकनीकी द्वारा व्यक्तियों की ग्रहणशीलता बढ़ाती हैं। षिक्षा प्रणाली व्यक्तियों के मानसिक स्तर का विस्तार कर स्वस्थ मूल्यवान विकास हेतु चेतना उत्पन्न करती है। षिक्षा क्षेत्र में विस्तार के सभी प्रयासों के पश्चात भी भारत की साक्षरता दर तीसरी दुनियां के देषों की तुलना में बहुत कम हैं। सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के कारण भारत में ष्षैक्षिक कार्यक्रम अधिक सफल नहीं हो पाते हैं। जिसका सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चो एवं मुख्य रूप से महिलाओं पर पड़ता है। भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं विषेषकर ग्रामीण महिलाओं हेतु उच्च षिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया हैं। भारत में सरकार के द्वारा षिक्षा के क्षेत्र में किए गए गंभीर प्रयासों के परिणामस्वरूप साक्षरता दर जो वर्ष 1951 में 18. 33 प्रतिषत थी, 1991 में यह बढ़कर 52.21 प्रतिषत हो गई थी। वर्ष 2011 की जनगंणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73.80 प्रतिशत हैं, परन्तु महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिषत हैं।

तालिका–2
भारत में साक्षरता दर

वर्ष	पुरूष	महिला	पुरूष महिला साक्षरता अन्तर
1951	27.16	08.86	18.30
1961	40.40	15.35	25.05
1971	45.96	21.70	23.98
1981	56.38	29.76	26.62
1991	64.13	39.29	24.84
2001	75.16	53.67	21.59
2011	82.14	65.46	16.68

स्रोत–जनगंणना रिपोर्ट 2011

आज सम्पूर्ण विष्व की महिलाएं समाज में षक्ति के असमान व एकपक्षीय वितरण को चुनौती देने हेतु निरन्तर प्रयास कर रही हैं। महिलाओं की उन्नति व विकास के लिए आवष्यक हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विषेषकर राजनीति में उनका सषक्तिकरण होना चाहिए। भारत में महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में उचित भागीदारी के लिए भारतीय संविधान के 73 वें 74 वें संविधान के द्वारा पंचायतो व जिला परिषदों में महिलाओं की भागीदारी के लिए 33 प्रतिषत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया हैं जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की ओर एक सराहनीय कदम हैं। वास्तविकता तो यह है कि राजनीतिक परिदृष्य में आज भी महिलाओं की भूमिका को अधिक सार्थक नही माना जा सकता। आज भी सम्पूर्ण विष्व में औसतन 12–13 प्रतिषत महिलाएं ही विधायी संस्थाओं हेतु निर्वाचित हो रही हैं। महात्मा

गांधी जी नें पंचायतो की अवधारणा पर प्रकाष डालते हुए कहा था कि स्वराज्य की स्थापना के लिए उसमें सभी वर्गो की भागीदारी होनी चाहिए।

तालिका–3
संसद में महिलाओं की भागीदारी (प्रतिषत में)

वर्ष	लोकसभा में महिला प्रतिषत
1952	4.40
1962	6.70
1971	4.20
1980	7.90
1991	7.16
1996	7.18
1998	7.50
1999	8.60
2004	8.30
2009	10.87
2014	11.20

स्रोत– निवार्चन आयोग, भारत

भारत जैसे पुरूष प्रधान देष में महिलाओं ने प्रारम्भ से ही अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए संघर्ष किया हैं। हमारे समाज ने महिलाओं को पुरूषों की अपेक्षा द्वितीय स्थान पर रखा हैं। महिलाओं को समान अधिकार तथा रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। कामकाजी महिलाओं में प्रषिक्षण, स्थानान्तरण तथा पदोन्नती आदि का अभाव होता हैं जबकि वास्तव में महिलाएं पुरूषों की अपेक्षा अधिक कार्य करती हैं। यदि उनकी आय का अघ्ययन किया जाये तो महिलाओं को उनके श्रम का 20 प्रतिषत ही आय के रूप में मिलता है।

जबकि भारत में संवैधानिक रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है। योजना काल के दौरान अधिकांषत: महिलाओं के विकास तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई हैं। असंगठित क्षेत्र में भी कामकाजी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी हैं। प्राथमिक, द्वितीय, तथा तृतीय क्षेत्र में जैसे– फसल उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, वनोत्पादन, विनिर्माण क्षेत्र, व्यापार, व्यवसायिक व दूरसंचार आदि क्षेत्रों में आज महिलाओं को कार्य करते हुए देखा जा सकता हैं परन्तु इन क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या या तो वे अषिक्षित हैं या कम पढ़ी लिखी हैं।

इस प्रकार से महिलाओं को जो कार्य दिया जाता है उसके बदले उनको कम वेतन दिया जाता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों जैसे–बुनाई उद्योग, तिल्ली उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, पापड़ उद्योग आदि में कामकाजी महिलाओं की संख्या अधिक पायी जाती हैं। इन उद्योगों का कोई पंजीकरण नहीं होता हैं। कामकाजी महिलाएं इन उद्योगों में पैकिंग, श्रेणीकरण, लेविल लगाना आदि का कार्य करती हैं। उच्च षिक्षित महिलाएं प्रभावषाली रूप से प्रत्येक स्तर पर जैसे–प्रबन्धक, निरीक्षक (सुपरवाइजर), एकाउन्टेंट तथा कंप्यूटर आपरेटर आदि का कार्य करती हैं।

किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। परन्तु महिलाओं के द्वारा किए गये कार्य का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के अध्ययन के अनुसार भारत में षिक्षा के स्तर के सुधार के बाद भी षिक्षित महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार नही मिल पा रहा हैं जिसके फलस्वरूप षिक्षित महिलाओं का एक भाग बिना रोजगार के रह जाता हैं। हाल के वर्षों में आर्थिक मामलो में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हुई हैं। ऐसा देखा गया हैं कि ग्रामीण तथा ष्षहरी दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी हैं। किसी राष्ट्र के विकास की प्रगति का मापन वहां की महिलाओं की दषा एवं दिषा से देखा जा सकता हैं। भारतीय महिलाओं में सभी प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती हैं, यदि हम उनकी बौद्धिकता का विकास कर सके तो भारतीय महिलाएं भविष्य में विष्व का आदर्ष बन जायेगी। महिलाओं के साथ आर्थिक, सामाजिक तथा षिक्षा के क्षेत्र में होने वाले भेदभाव को समाप्त करना होगा तभी महिलाएं सषक्त हो सकती हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्व0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम जी ने 54 करोड़ की युवा जनसंख्या को भारत की सभी सम्प्रदायों में सबसे ऊपर बताया हैं। इन्होंने कहा यदि समाज के इस भाग को सषक्त बनाया जाये तो मुझे विष्वास हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य वर्ष 2020 से पहले ही पूरा किया जा सकता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) ने वर्ष 2011 में रोजगार तथा बेरोजगारी पर किये गये एक अध्ययन के अनुसार यह स्पष्ट हुआ हैं कि 15 से 19 वर्ष की आयु के बीच षहरी महिलाओं में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 15.70 प्रतिषत के बीच हैं। षहरी महिलाएं कार्य करने के लिए तैयार हैं परन्तु वर्तमान समय में पर्याप्त तथा योग्यतानुसार रोजगार के अवसर खोजने में असमर्थ हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

द्वारा वैष्विक रोजगार की प्रवर्तियों पर वर्ष 2012 में किये गये एक अध्ययन के अनुसार 131 देषों में भारत की षहरी महिला श्रम षक्ति दर 15 प्रतिषत के साथ विष्व भर में नीचे से ग्याहरवें स्थान पर हैं जो एक चिंताजनक आंकड़ा है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 48 प्रतिषत महिलाएं स्वरोजगार किसान हैं तथा डेरी उद्योग में 75 लाख महिलाएं कार्य कर रही हैं। वर्ष 2001 में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम की भागीदारी दर 30.79 प्रतिषत थी। वर्तमान समय में निजी क्षेत्र की कम्पनियों में कुल श्रम शक्ति का 24.5 प्रतिषत भागीदारी महिलाओं की हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में महिलाओं की ये हिस्सेदारी लगभग 17.90 प्रतिशत हैं। भारत में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर को तालिका 1.4 के माध्यम से दर्षाया गया हैं। तालिका से स्पष्ट होता हैं कि मात्र 25.51 प्रतिषत महिलाएं ही रोजगार में सलंग्न हैं जबकि लगभग 53. 26 प्रतिषत पुरूष रोजगार में लगे हुए हैं। इस प्रकार से कुल महिला जनसंख्या में से 74.49 प्रतिषत महिलाएं रोजगार कार्यरत् नहीं हैं जबकि पुरुषों में यह प्रतिषत लगभग 46.84 हैं।

तालिका–1.4
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में श्रमिक

जनसंख्या / श्रमिक	व्यक्ति		पुरूष	महिला
1	2		3	4
जनसंख्या	कुल	1,21,05,69,573	62,31,21,843	58,74,47,730
श्रमिक		48,34,63,448	33,18,65,930	14,98,77,381
श्रमिक प्रतिषत में		39.79	53.26	25.51
जनसंख्या	ग्रामीण	83,34,63,448	42,76,32,643	40,58,30,805
श्रमिक		34,85,97,535	22,67,63,068	12,18,34,467
श्रमिक प्रतिषत में		41.83	53.03	30.02
जनसंख्या	ष्षहरी	37,71,06,125	19,54,89,200	18,16,16,925
श्रमिक		13,31,45,776	10,51,02,862	2,80,42,914
श्रमिक प्रतिषत में		35.31	53.76	15.44

स्रोत–रजिस्टार जनरल कार्यालय, भारत

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 प्रतिषत षहरी महिलाएं घरेलू, सफाई कर्मचारी, विक्रेता, फेरी एवं दुकानों में सेल्सगर्ल के रूप में कार्य करती हैं। वहीं 43 प्रतिषत महिलाएं स्वनियोजित कार्य करती हैं। जबकि लगभग इतनी ही महिलाएं मासिक वेतन पर कार्य करती हैं। लगभग 46 प्रतिषत मासिक वेतन पर कार्य करने वाली षहरी महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगार लगभग तय नहीं हैं। 56 प्रतिषत महिलाओं के पास लिखित में किसी भी प्रकार का रोजगार अनुबन्ध नही हैं अर्थात देष की जी0डी0पी0 में उनकी भागीदारी का कोई आंकड़ा नही है। जनगंणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ के लगभग हैं। जिसमें 67.2 करोड़ जनसंख्या 15–59 वर्ष के बीच की हैं जिसको कार्यशील जनसंख्या माना जाता हैं। इस कार्यषील जनसंख्या में लगभग 25 करोड़ 15–24 वर्ष के बीच की हैं जो वर्ष 2011 की जनगंणना का 21 प्रतिषत हैं। भारत मे कुल श्रमिकों की संख्या, कुल जनसंख्या का 5 प्रतिषत हैं। दूसरे देषों में अगर तुलना करें तो चीन में यह संख्या 47 प्रतिषत, जापान में 80 प्रतिषत, बिट्रेन में 68 प्रतिषत, अमेरिका में 52 प्रतिषत और दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिषत हैं। अमेरिका के मैन ग्रुप ने नियोक्ताओं पर किये गये एक अध्ययन से स्पष्ट किया कि जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस में जहाँ क्रमष: 40 प्रतिषत, 57 प्रतिषत, और 20 प्रतिषत नियोक्ताओं को अपनी आवश्यकतानुसार कर्मचारी का चयन करने में मुष्किल आती हैं वहीं भारत में यह प्रतिषत 67 हैं। आमतौर पर यह समझा जाता हैं कि पुरूष समाज पर महिलाएं आर्थिक बोझ होती हैं जबकि महिलाओं के द्वारा अपने परिवार के लिए जो योगदान दिया जाता हैं पुरूष समाज के द्वारा उसकी अनदेखी की जाती है। इसलिए घर से बाहर कार्य करने की दर को समाज में उनकी आर्थिक दर का मापक समझा जाता हैं। भारत में कामकाजी महिलाओं की दर में मामूली वृद्धि हुई हैं। वर्ष 1981 में कामकाजी महिलाओं की दर 13.99 प्रतिषत थी जो वर्ष 2011 में यह दर बढ़कर 25.55 प्रतिषत हो गयी हैं।

तालिका–1.5
महिला श्रमिकों का वर्गीकरण (प्रतिशत में)

वर्ष	कुल महिला श्रमिक	खेतिहर (कृषक)	खेतिहर (मजदूर)	घरेलू (उद्योग)	अन्य कर्मकर
1981	13.99	4.65	6.46	0.64	2.24
1991	15.93	5.51	7.05	0.55	2.82
2001	14.68	5.11	4.51	0.95	4.11
2011	25.50	24.00	41.10	5.70	29.20

स्रोत–रजिस्टार जनरल कार्यालय, भारत

असंगठित क्षेत्र में 90 प्रतिषत महिलाएं कार्यषील हैं जो लगभग 80 प्रतिषत कृषि और उससे जुड़े कार्यो में तथा 10 प्रतिषत अन्य गतिविधियों में लगी हैं। असंगठित क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को षोषण का सामना करना पड़ता हैं। महिलाओं के द्वारा किये गये श्रम की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती हैं, क्योंकि महिलाएं अकुषल होती हैं। अत: इनके पास कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है। इस प्रकार महिलाओं को कम वेतन देकर उनका आर्थिक षोषण किया जाता है। पहले महिलाओं पर बहुत अधिक जिम्मेदारी होती थी, वह न केवल घरेलू कार्यो में योगदान देती थी, बल्कि आर्थिक क्रियाओं जैसे–कृषि, उद्योग में भी अपना योगदान देती थी।

निष्कर्ष–

भारत में बढ़ते वैश्विकरण के इस आधुनिक युग में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नही हैं चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक या राजनीति या कला का क्षेत्र हो, इसलिए महिलाओं के विकास के लिए भारतीय समाज को कुंठीत एवं रूढ़िवादी मानसिकता से बहार निकलना होगा। महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी नीतियों में पूर्ण सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से सशक्त बनाना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1. गौतम, हरेन्द्र राज, (2006), "महिला अधिकार संरक्षण" कुरुक्षेत्र, अंक 5, मार्च, पृष्ठ 8
2. यादव, रवि प्रकाष और कुमार नंदन, (2006), "महिला बीड़ी कारीगर" कुरुक्षेत्र, अंक 5, मार्च, पृष्ठ 21
3. बेदी, किरण, (2013), "स्त्री षक्ति" पयूजन बुक्स पब्लिकेषन, नई दिल्ली,, पृष्ठ 14
4. जाट, लाला राम, (2006), " महिला अधिकार आन्दोलन में महिला अधिकारो की स्थिति" कुरुक्षेत्र, अंक 5, मार्च, पृष्ठ 24
5. कुमार, कमलेष, (2007), "भारत की जनजातीयं महिलाएं" कुरुक्षेत्र, अंक 5,मार्च, पृष्ठ 23
6. कुमार, दिनेष और भूषण बजरंग, (2006), "महिला सषक्तिकरणः कुछ अनसुलझे पहलू" कुरुक्षेत्र, अंक 5, मार्च, पृष्ठ 10
7. सिंह, राजबाला, (2006), "मानवाधिकार और महिलाएं" अविष्कार पब्लिषर्स डिस्ट्रीब्यूर्टस, जयपुर, पृष्ठ 111
8. जोषी, गोपा, (2011), "भारत में स्त्री असमानता" हिन्दी माध्यम कार्या0 निदेषालय, दिल्ली, दिसम्बर, पृष्ठ 65
9. श्रीवास्तव, मनोज, (2011), "पंचायती राज के जरिय राजनीतिक रुप से सषक्त हुई महिलाएं" कुरुक्षेत्र, अंक 5, सितम्बर, पृष्ठ 10
10. joshi, Mahesh, (1999) "Women Rural labourers" A.P.H. Publication Corporation, New Delhi, p.21-22
11. त्रिपाठी, कुसुमु, (2007), "महिलाएंः दषा एवं दिषा" कुरुक्षेत्र, अंक 5, मार्च, पृष्ठ
12 Prasad, Narendra, (2007), "Women and development" A.P.H. Publication Corporation, New Delhi, p.71
13 Pillai, Kothari Jaya, (2007) "Women and Empowerment" Gyan Publication House, New Delhi, p.30
14. षुक्ला, पष्यंती, (2016), "भारत में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति" कुरुक्षेत्र, अंक 3, जनवरी, पृष्ठ 43
15. चट्टोपाध्याय, अरुंधती, (2005), "उद्यमषीलता के जरिये महिलाओं को षक्तिषाली बनाना" योजना, जनवरी, पृष्ठ 29–30